जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 72/2014 रणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 17 जीजी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–एसडीओ गंगानगर 2– हरनेक सिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3–जोगा सिंह 4–राजरानी 5–बखतावरसिंह 6–गुरसेवक सिंह 7–सुखदर्शनसिंह 8–दिलावर सिंह 9–गुरदेव सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2015

प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण उपस्थित है। जबकि अप्रार्थी जोगासिंह व राजरानी की तलवी के लिए बार बार अवसर दिये जाने पर भी वकील प्रार्थी द्वारा नोटिस तलवाना पेश नही किया है। उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 5 से 9 के अभिभाषक श्री मनोहरलाल सहारण का कथन था कि प्रार्थीगण ने दिनांक 27.10.2014 को एक मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं0 60/2014 अनवानी रणजीतसिंह बनाम हरनेक सिंह वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। उनका कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में उनका एक प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पक्षकार बनाये जाने बाबत स्वीकार किया और प्रार्थी/वादी रणजीत सिंह ने उक्त आदेश के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पेश की है जो विचाराधीन है। उनका आगे कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं0 60/2014 में पारित आदेश 08.10.14 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन होने पर उक्त मूल वाद सं0 60/2014 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तलब किया जा चुका है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी दशा में कोई कार्यवाही नही की जानी है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे। उनका यह भी कथन था कि अप्रार्थी सं0 3 व 4 की तलवी के लिए न्यायालय द्वारा बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी नोटिस तलवाना पेश नही किया गया है। इसलिए इस आधार पर भी मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि उक्त वाद सं0 60/2014 में पारित आदेश को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा स्थगित किया जा चुका है और अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं0 5 से 9 के राजनैतिक दबाब के कारण निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना नही है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 27.10.2014 को एक मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं0 60/2014 अनवानी रणजीतसिंह बनाम हरनेक सिंह वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन संख्या 5687/14 रणजीतसिंह बनाम बख्सतावर सिंह आदि का अवलोकन करने से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 60/2014 में अप्रार्थीगण सं0 5 ता 9 को पक्षकार बनाये जाने संबंधी पारित आदेश 08.10.2014 के विरूद्ध उक्त रिवीजन प्रार्थी रणजीत सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। दोनो पक्षकार उक्त रिवीजन को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना स्वीकार करते है और अधीनस्थ न्यायालय की संबंधीत पत्रावली भी माननीय राजस्व मण्डल में तलब करना स्वीकारते है। ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली सं0 60/2014 जिसे प्रार्थी रणजीत सिंह द्वारा अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में तलब की जा चुकी है और पत्रावली अधीनस्थ

न्यायालय में नही है। ऐसी दशा में प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है। दूसरा प्रार्थी रणजीत सिंह ने इस न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी सं0 3 व 4 की तलवी के लिए बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी नोटिस तलवाना पेश नही किया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रकरण में कोई दिलचस्पी नही है। इसलिए न्यायालय के आदेशो की पालना प्रार्थी द्वारा न किये जाने के कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर